

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आर०एम० वाद सं०-48/2021-22

10.12.21
अभिलेख उपस्थापित :- अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक-950 दिनांक-02/12/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन निम्नवत है।


1. राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के मंत्रय अनुसार आवेदित भूमि पर आपतिकर्ता सेवाराम महतो पिता-स्व० गणपत महतो वगैरह द्वारा लिखित आपति दी गई है कि संयुक्त भूमि का बंटवारा जबतक नहीं होता है लम्बित रखा जाय। अतः उपरोक्त के मदेनजर विवादी भूमि पर आपति का निराकरण होने के पश्चत ही अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान में अनुमति आवेदन अस्वीकृत की जा सकती है।


अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में अनुमति वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
रांगाडीह	सोनाहातु/55	58	494	48 डी० चौहद्दी:- उ०-परती कदीम। द०-लोहरा महतो। पू०-सेवाराम महतो वो अभिराम महतो। प०-लोहरा महतो।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।